उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या- 62/2018/1213/छप्पन-2018-11/2011

लखनऊ:दिनांक: 18 जून, 2018

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

श्री राजेश कुमार को नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यालय ज्ञाप संख्या-1937/छप्पन-12-11/2011 दिनांक 27 नवम्बर, 2012 द्वारा नियत मासिक पारिश्रमिक रू0 1,50,000/- (रूपये एक लाख पचास हजार मात्र) पर अग्रेत्तर 05 वर्ष अर्थात दिनांक 20 सितम्बर, 2012 से दिनांक 19 सितम्बर, 2017 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-65/2017/1057/छप्पन-17-11/2011 दिनांक 18 सितम्बर, 2017 द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2017 से दिनांक 19 सितम्बर, 2018 तक अग्रेतर 01 वर्ष तक पूर्व शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन बढ़ायी गयी थी, जिसकी अवधि दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को समाप्त हो रही है। निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री राजेश कुमार नागरिक उड्डयन निदेशालय के लिए एक उपयोगी अभियन्ता हैं, अतः इनकी उपयोगिता तथा विभाग की विशिष्ट कार्य अपेक्षाओं को देखते हुए इनकी संविदा की अवधि वर्तमान पारिश्रमिक रुपए 2,02,585/- एवं शासनादेश संख्या-1422/छप्पन-2014-17/2014, दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार 05 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि के आधार पर पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन बढ़ाए जाने हेतु यथोचित निर्णय लिया जाए।

2- अतः सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल हेलीकॉप्टर अनुरक्षण अभियन्ता के पद पर श्री राजेश कुमार की संविदा अवधि वर्तमान पारिश्रमिक रुपए 2,02,585/- एवं शासनादेश संख्या-1422/छप्पन-2014-17/2014, दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार 05 प्रतिशत की वार्षिक वेतन वृद्धि के आधार पर पूर्व शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन दिनांक 20 सितम्बर, 2018 से अग्रेतर 01 वर्ष (अर्थात दिनांक 20 सितम्बर, 2018 से 19 सितम्बर, 2019 तक) के लिए बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. श्री राजेश कुमार को उक्त संविदा अवधि में नियत मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। श्री राजेश कुमार की संविदा सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत् जारी रहेंगी।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- श्री राजेश कुमार से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर उसे शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

श्री राजेश कुमार,
हेलीकॉप्टर अनुरक्षण अभियन्ता,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

पृ0 सं0- 62/2018/1213(1)/छप्पन-18, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री राजेश कुमार से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डा0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।